तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की ... में जारी हुए
12/7/22	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त हैं। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा ... को पेश हो।	
29/08/22	पत्रावली आज पेश हुई। वादी व वादी के अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी व वादी के अधिवक्ता को कोर्ट समक्ष में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के वादी व वादी के अधिवक्ता अनुपस्थित। अतः उक्त उनवान प्रकरण वादी की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर SDO (गुड़ामालानी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.20 11:15:13 IST
Reason: SelfAttested

।।श्री।।

सेवामें,

श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय,
गुडामालानी ।

वादी :-

1. जैरूपाराम पुत्र श्री फगलुराम उम्र 46 वर्ष
कौम विश्नोई साकिन धोलीनाडी
तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. हरूराम उर्फ हरीराम उर्फ हीराराम पुत्र श्री फगलुराम उम्र 50 वर्ष
2. जैकनराम उर्फ जयकिशन उर्फ जैकिशन पुत्र श्री फगलुराम उम्र 44 वर्ष
जाति विश्नोई निवासी धोलीनाडी तहसील गुडामालानी .
3. शाखा प्रबन्धक एस बी आई बैक शाखा गुडामालानी ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडमालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 53 ,88 188 रा0 का0 अधिनियम

महोदयजी

वादी का वाद निम्न प्रकार से है :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.20 11:15:13 IST
Reason: SelfAttested

1. कि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम ग्राम धोलीनाडी के खेत जिला बाडमेर तहसील गुडामलानी पटवार मण्डल बेरीगाव के ग्राम पनावली के खेत खसरा नम्बर 2/8 रकबा 10-03 बीघा किस्म बारानी सोयम व मौजा धोलीनाडी के खेत खसरा नम्बर 94/2 रकबा 13-08 बीघा किस्म बारानी सोयम तथा खसरा संख्या 88/13

जैरूपाराम

रकबा 11–10 बीघा किस्म बारानी सोयम , खसरा संख्या 88/16 रकबा 2–12 बीघा किस्म बारानी सोयम खसर नम्बर 83 रकबा 0–03 बीघा किस्म गैर मु0 बेरी खसरा संख्या 88/9 रकबा 6–06 बीघा किस्म बारानी सोयम खसरा नम्बर 88/7 रकबा 3–19 बीघा किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है । उपरोक्त विवादित आराजी के पक्षकारान रेकर्डेड खातेदार है जिसमे वादी का 1/3 हिस्सा तथा शेष हिस्सा है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का है । जिसकी नकल जमाबंदी चौशाला एवं नक्शा ट्रेस की संवत 2072–2075 की प्रमाणित प्रति सलग्न है ।

2. कि वादी का उपरोक्त वादग्रस्त आराजी मे अपना 1/3 हिस्सा प्रतिवादी खातेदार से जरिये विभाजन घोषणा घोषित करवाना चाहता है । वादी एवं प्रतिवादी विवादीत आराजी के रेकर्डेड खातेदार है इसलिऐ यह वाद घोषणा का श्रीमानजी के समक्ष पैश है । वादी एवं प्रतिवादी का मौके पर बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त है । तथा इसी कब्जे के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी के बिच में बहामी तोर से बंटवारा किया हुआ है । तथा वादी के उपरोक्त विवादित आराजी मे प्रत्येक खसरे मे मौके कब्जे अनुसार काबिज है तथा अपने कब्जे काश्त अनुसार वादी प्रत्येक खसरे मे अपने हिस्से की घोषणा करवाना चाहता है तथा वादी के हिस्से मे आई रेकर्ड अनुसार भूमि का विभाजन करवाकर अपने हिस्से की घोषणा करवाना चाहते है । इस हेतु उक्त वाद वास्ते विभाजन का श्रीमानजी की सेवा मे पैश है ।

3. कि वादी का शुरू से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त खेत में अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है वर्तमान में जमीनो की किमतो में अंधाधुन्ध वद्वि हो जाने की वजह से विप्रार्थीगण की नियत मे खोट आ जाने से वादग्रसत भूमि जो हम वादीगण के कब्जे काश्त मे है उसको प्रतिवादी ने बेचान करने की धमकीया दी तथा वादी को जबरन बेदखल करने की है ऐंसी स्थिति में वादी के पक्ष मे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेध[illegible] करने का अधिकारी है कि जब उक्त वाद का निस्तारण न[illegible] खेत मे किसी भी भुभाग का व हस्तान्तरण किसी अन्य को न करे [illegible]था जबरन वादीगण को उसके हिस्से बेदखल नही करे तथा रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जिस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र प्रस्तुत है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.20 11:15:13 IST
Reason: SelfAttested